न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 22/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2018/00054

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.हरचन्दराम पुत्र मोटाराम 2.पन्नाराम पुत्र मोटाराम 3.पुनमाराम पुत्र उमाराम 4.बालाराम पुत्र उमाराम 5.गोमाराम पुत्र उमाराम 6.गुमनी पत्नी उमाराम जाति जाट निवासी बड़ला ,दुदवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.लिखमाराम पुत्र शेराराम 2.कानाराम पुत्र शेराराम 3.जीयाराम पुत्र शेराराम 4.वगताराम पुत्र शेराराम 5.ममता पुत्री शेराराम 6.चैनाराम पुत्र भारमलराम 7.सुखाराम पुत्र भारमलराम 8.तोगाराम पुत्र भारमलराम 9.नारणाराम पुत्र गिरधारीराम 10.भीखाराम गोदपुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी बड़ला,दुदवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी एकतरफा

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

निर्णय

दिनांक— 27/10/2025

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा बड़ला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2 रकबा 124.05 बीघा व खसरा संख्या 76 रकबा 186.10 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 03.05.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 22/2016
हरचंदराम बनाम लिखमाराम वगैरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बड़ला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2 रकबा 124.05 बीघा व खसरा संख्या 76 रकबा 186.10 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.रा.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	वर्ग
1	हरचंन्दराम हि.1/3 पन्नाराम हि. 1/3 पि. मोटाराम पूनमाराम हि. 1/12 वालाराम हि. 1/12 गोमाराम हि. 1/12 पि. उमाराम गुमनी पत्नी उमाराम हि. 1/12 कौम जाट सा खट्टू खातेदार	वड़ला	2 76	20.1128 5.0383	वा.दोयम वा.दोयम	335.28 83.99	हरा
2	लिखमाराम हि. 1/60 कानाराम हि. 1/60 जीयाराम हि. 1/60 वगताराम हि. 1/60 ममता हि. 1/60 पि. शेराराम चेनाराम हि. 1/12 सुखाराम हि. 1/12 तोगाराम हि. 1/12 पि. भारमलराम नारायणराम पुत्र गिरधारीराम हि. 1/3 भीखाराम दत्तक पुत्र ताजाराम हि. 1/3 कौम जाट सा. खट्टू खातेदार	वड़ला	76	25.1512	वा.दोयम	419.27	केसरिया

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 27/10/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 27/10/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 22/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2018/00054

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.हरचन्दराम पुत्र मोटाराम 2.पन्नाराम पुत्र मोटाराम 3.पुनमाराम पुत्र उमाराम 4.बालाराम पुत्र उमाराम 5.गोमाराम पुत्र उमाराम 6.गुमनी पत्नी उमाराम जाति जाट निवासी बड़ला ,दुदवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.लिखमाराम पुत्र शेराराम 2.कानाराम पुत्र शेराराम 3.जीयाराम पुत्र शेराराम 4.वगताराम पुत्र शेराराम 5.ममता पुत्री शेराराम 6.चैनाराम पुत्र भारमलराम 7.सुखाराम पुत्र भारमलराम 8.तोगाराम पुत्र भारमलराम 9.नारणाराम पुत्र गिरधारीराम 10.भीखाराम गोदपुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी बड़ला,दुदवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 22/2018
निर्णय दिनांक :—27.10.2025

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

27/10/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा